

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 05]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 31, 2019/ज्येष्ठ 10, 1941

No. 05]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 31, 2019/JYAISTHA 10, 1941

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2019

का.नि.आ. 09(अ).—केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसका यह समाधान हो जाने पर कि खासयोल छावनी के प्रशासन के लिए, जहां परिवर्तित खासयोल छावनी बोर्ड का कार्यकाल 5 जून, 2019 को समाप्त होगा, वहां परिवर्तित खासयोल छावनी बोर्ड के गठन को बनाए रखना वांछनीय है, उक्त बोर्ड के कार्यकाल का 6 जून, 2019 से छह मास की अतिरिक्त अवधि के लिए या खासयोल छावनी के सिविल क्षेत्रों का उच्छेदन किए जाने तक, जो भी पहले हो, विस्तार करने की घोषणा करती है।

[फा. सं. 14(2)/2012-डी(क्यूऔरसी)

जयन्त सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2019

S.R.O. 09(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) and sub-section (4) of section 13 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Central Government, on being satisfied that for the administration of the Khasyol Cantonment, where the term of the varied Board shall expire on 5th June, 2019, it is desirable to keep the constitution of the Khasyol Cantonment Board varied, hereby makes a declaration to extend the term of office of the said Board for a further period of six months from the 6th June, 2019 or till the excision of civil areas of the Khasyol Cantonment, whichever is earlier.

[F. No. 14(2)/2012-D(Q&C)]

JAYANT SINHA, Jt. Secy.